उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-1709/ग्यारह-9/(111)15-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(147)-2015

दिनांक: 08 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शकित का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची-एक में, क्रम संख्या 49 की प्रविषिट में, अद्र्धविराम और शब्द " ; पेन्ट करने या वार्निश करने के लिये प्रयुक्त होने वाले ब्रुश अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे।

(ख) उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, क्रम संख्या 117 पर दी गयी प्रविषिट के स्थान पर निम्नलिखित प्रविषिट रख दी जायेगी, अर्थात :-

"117- टूथ ब्रुरश से भिन्न अन्य ब्रुश ; पेन्ट करने या वार्निश करने के लिये प्रयुक्त होने वाले ब्रुश से भिन्न अन्य ब्रुश

आज्ञा से,

हरेन्द्र वीर सिंह

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in